राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2014–15 के लिये दिनांक 31 अगस्त, 2014 की स्थिति के अनुसार)

1. कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवाः– रणवीर सिंह रावत
2. संवर्गः– श्रेणी 'ग'
3. वर्तमान धारित पदः– प्रबन्धक लेखा
4. वर्तमान वेतनमानः– 9300–34800

क्र0 सं0	जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वंय के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बन्धक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गई।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथी/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम कौलागढ, तहसील देहरादून, जिला देहरादून।	242 वर्ग मी0 भूमि एवं आवास	आर0एस0 रावत	क्रय	1996	180000.00 600000.00	4000000.00	–	–
2	ग्राम मथुरावाला, तहसील देहरादून, जिला देहरादून।	180 वर्ग मी0 भूमि	श्रीमती सुशीला रावत	क्रय	2009	320000.00	800000.00	Nil	–

स्थानः– उत्तरकाशी।
दिनांकः– 23.09.2014

हस्ताक्षर .....
कर्मचारी का नामः– रणवीर सिंह रावत
पदनामः– प्रबन्धक लेखा
विभागः– स्वजल परियोजना, डी0पी0एम0यू0, उत्तरकाशी।

टिप्पणीः–

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारीयो के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिको के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाये।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाये।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाये और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वंय किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुये तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाये।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वंय तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी........ की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा भरत सिंह चौहान 2. संवर्ग प्रान्तीय
3. वर्तमान धारित पद प्रबन्धक लेखा 4. वर्तमान वेतनमान 4600/-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बद्रीपुर जि॰ दे॰दून	आवास 0.0407 हे॰	स्वंय, पत्नी	श्री बलवीर सिंह, नरेन्द्र सिंह	2006-07	4.68 लाख	13.50 लाख	शून्य	बैंक ऋण एच॰डी॰एफ॰सी, ई॰पी॰एफ एकाउन्ट
बद्रीपुर जि॰ दे॰दून	कृषि भूमि 0.0498	स्वंय, पत्नी	श्री अरुण आहलूवालिया	2010-11	13.00 लाख	15.00 लाख	शून्य	ऋण ई॰पी॰एफ एकाउन्ट

(34)

स्थान : देहरादून
दिनांक : 15/9/14

हस्ताक्षर [signature]
अधिकारी का नाम भरत सिंह चौहान
पद नाम प्रबन्धक लेखा
विभाग कण्डाल परियोजना

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य [illegible] कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अभिवृद्धि/कमी हुई हो तो तदनुसार अभिवृद्धि/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अभिवृद्धि/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण कराया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाए।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2013–14 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2014 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा:– जगदीश चन्द्र काण्डपाल
2. संवर्ग ग
3. वर्तमान धारित पद प्रबन्धक (लेखा)
4. वर्तमान वेतनमान 9300–34800

जिला, तहसील और शहर जिसमे सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास,भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार/तथा उस उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रू0 मे)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रू0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रू0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट	भूमि 10 नाली	जगदीश चन्द्र काण्डपाल– स्वयं	उत्तराधिकार	पैतृक	पैतृक	1 लाख	–	–
नैनीताल, हल्द्वानी,, नया छड़ैल आवाद	1 बीघा	जगदीश चन्द्र काण्डपाल– स्वयं	क्रय	1989	35000	10 लाख	–	–

स्थान नैनीताल
दिनांक 08.09.2014

हस्ताक्षर .....
अधिकारी का नाम जगदीश चन्द्र काण्डपाल
पद का नाम:– प्रबन्धक लेखा
विभाग:– जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, नैनीताल

टिप्पणी

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति मे कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गयी हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2013 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2014 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एव सेवा हेम0 सी0 नौटियाल 2. संवर्ग लेखा

3. वर्तमान धारित पद प्रशासक (लेखा) 4. वर्तमान वेतनमान ₹ 7450-11500 (अपुनरीक्षित)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला-देहरादून तह0- डोईवाला ग्राम- [illegible] मालदेवता ग्राम (?) डोईवाला	0.1155 हैक्टेयर (होल्डिंग भूमि)	हेम0 सी0 नौटियाल	क्रय	24-3-2006	02 लाख	04 लाख	₹ 2000/- प्रतिवर्ष	

स्थान रुद्रप्रयाग (Rudraprayag)

दिनांक 9/09/2014

हस्ताक्षर [signature]

अधिकारी का नाम (हेम0 सी0 नौटियाल)

पद नाम प्रशासक (लेखा)

विभाग जिला [illegible] Rudraprayag

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण कराया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

②

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष .... के लिए दिनांक 01 जनवरी........ की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा प्रकाश चन्द्र जैनवाल 2. संवर्ग लिपिकीय (लेखा)
3. वर्तमान धारित पद प्रबन्धक लेखा, स्वजल परियोजना 4. वर्तमान वेतनमान 5000-150-8,000

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला- नैनीताल तहसील- कालाढूंगी ग्राम- अमगढ़ी	पैतृक- मकान 500 वर्ग फीट पैतृक- भूमि 01 एकड़	संयुक्त (भाईयों सम्बन्धी)	उत्तराधिकारी	पैतृक	2.50 लाख	4.00 लाख	0.40 लाख	पैतृक सम्पत्ति
जनपद- नैनीताल तहसील- हल्द्वानी ग्राम- भगवानपुर जौलिए	आवास मकान 2000 वर्ग फीट	पैतृक वर्तमान में स्वयं मेरे नाम से	उत्तराधिकारी	1992	60,000	4,00,000	—	वर्तमान में स्वयं के नाम

स्थान : अल्मोड़ा
दिनांक : 10.09.2014

हस्ताक्षर ....
अधिकारी का नाम प्रकाश चन्द्र जैनवाल
पद नाम ....
विभाग प्रबन्धक लेखा, स्वजल परियोजना अल्मोड़ा

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण कराया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष–2014 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2014 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम :– सुभाष चन्द एवं सेवा:–

2. संवर्ग :–

3. वर्तमान धारित पद : प्रवचक (लेखा)

4. वर्तमान वेतनमान:– Pay – Pension

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज /बंधक / उत्तराधिकार /उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में लाख)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में लाख)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में लाख)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	0- 9 एकड़	स्वयं	विक्रय पत्र	21-12-1988 वर्ष 1993	24000-00 350000-00	2200000 बाईस लाख	शून्य	

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर .... (हस्ताक्षर)

अधिकारी/कर्मचारी का नाम : सुभाष चन्द

पद नाम : प्रवचक (लेखा)

विभाग : स्वजल

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तद्नुसार अधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रयमूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष 2013 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2014 की स्थिति अनुसार)

1 अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा– बृजमोहन द्विवेदी
2 संवर्ग– लेखा
3 वर्तमान धारित पद– प्रबन्धक (लेखा)
4 वर्तमान वेतनमान– 9300–34800

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रू में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रू0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रू में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आमवाला तल्ला, देहरादून	भूखण्ड– 2240 वर्ग फीट	बृजमोहन द्विवेदी (स्वयं)	भूखण्ड क्रय	10.05.2002	190000.00	700000.00	0.00	
	भवन निर्माण– 1200 वर्ग फीट		श्रीमती साधना शर्मा, तपोवन एन्क्लेव, देहरादून	जनवरी 2008	900000.00	1000000.00		

स्थान : गोपेश्वर
दिनांक: 05.09.2014

हस्ताक्षर .....
अधिकारी का नाम– बृजमोहन द्विवेदी
पद नाम– प्रबन्धक (लेखा)
विभाग– स्वजल परियोजना

टिप्पणी :

1 श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवर की स्थिति के अनुसार अचजल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।

2 प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचजल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।

3 यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 5 में कूल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया तो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकि करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।

4 अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र
(वर्ष–2014 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2014 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम :– रश्मि जोशी एवं सेवा:– प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखण्ड सिडकुल संवर्ग :–

3. वर्तमान धारित पद : प्रबन्धक लेखा 4. वर्तमान वेतनमान:– 9300 – 34800 ग्रेड पे– 4800

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज /बंधक / उत्तराधिकार /उपहार /अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹में लाख)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में लाख)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹में लाख)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम [illegible] तहसील देहरादून जिला देहरादून	आवास 148.59 वर्ग मीटर	रश्मि जोशी (स्वयं)	उपहार से प्राप्त भूमि	20/5/11	0.12	595000	—	

स्थान :– देहरादून
दिनांक :– 10/9/2014

हस्ताक्षर .... [signature]
अधिकारी/कर्मचारी का नाम : रश्मि जोशी
पद नाम : प्रबन्धक लेखा
विभाग : [illegible] प्रतिनियुक्ति – उत्तराखण्ड [illegible] देहरादून

टिप्पणी :
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तद्नुसार अधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रयमूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तद्नुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।